न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

प्रकरण कमांक29/अ–19/मूल/2020–2021

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल रीवा (म0प्र0)..आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0..अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

:आ दे शः
(पारित दिनांक 19 जनवरी 2021)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्भाग कमांक 1 रीवा के कार्यालयीन पत्र कमांक 3090 /तक./2020–2021 दिनांक 16.10.2020 द्वारा रीवा जिले के अन्तर्गत क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2. तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार तहसील जवा ने न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01/अ–19/2020–2021 के प्रतिवेदन दिनांक 15.09.2020 ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 कुल रकवा 25.800 हेक्टेयर में से 6.132 हेक्टेयर रकवा का वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षण उपरांत प्रस्तावित कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व अनुभाग त्योथर को प्रेषित कियां जिसमें अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्यौथर उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव 6.132 हेक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम जनकहाई कला पटवारी हल्का जनकहाई की भूमि खसरा कमांक 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर का हस्तांतरण वन भूमि को किये जाने की अनुशंसा किया गया है।

3. वन परिक्षेत्राधिकार सिरमौर के पत्र कमांक 2200 दिनांक 25.11.2020 के अनुरोध पर तहसीलदार जवा के पत्र कमांक 166/प्रवा./2020 जवा दिनांक 21.12.2020 द्वारा वनभूमि के बदले प्रस्तावित राजस्व भूमि को मौके पर चिन्हांकित कर दिया गया है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल ने पत्र कमांक मा.चि./07 रीवा दिनांक 01.01.2021 के द्वारा प्रस्तावित वनभूमि रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने में सहमति दी गई है।

3. उपरोक्तानुसार जनहित में क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि (वन परिक्षेत्र सिरमौर) का रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर वन विभाग को म0प्र0 के ज्ञापन कमांक एफ/52/सात/नजूल/ 92 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कमांक–1 की कण्डिका–36 के प्रावधानो के अन्तर्गत तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के (संशोधन) नियम 1992 की धारा 2 के नियम 6(1) के अन्तर्गत एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल दिनांक 26 अक्टूबर 2005 अनुसार वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील जवा तद्नुसार अभिलेख में सुधार कर खसरा/नक्शा की प्रति संबंधित को उपलब्ध करावे।

कलेक्टर,
जिला रीवा (म0प्र0)